न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 80/2019
अनुवान कानाराम आदि बनाम राजस्थान राज्य व अन्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 15.04.2021

1. कानाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी भोलूसर तहसील सरदारशहर
2. तेजाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी भोलूसर तहसील सरदारशहर

–वादीगण–

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

2. लिछमादेवी पुत्री दाखां पत्नी पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी भोलूसर हाल निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. रूकमणी पुत्री दाखां पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी भोलूसर हाल निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. जमना पुत्री दाखां पत्नी सोहनराम जाति मेघवाल निवासी भोलूसर हाल निवासी अजीतसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–गौण प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री रामनिवास सारण एवं श्री अमरचन्द सिद्ध वास्ते वादीगण।
2. एडवोकेट श्री सांवरमल सारण वास्ते गौण प्रतिवादीगण 02 ता 04।
3. तहसीलदार सरदारशहर प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की माता दाखां के नाम से कृषि भूमि ख0 नं0 55, 109, 115, 135 तादादी क्रमशः 17.17 बीघा, 04.01 बीघा, 35.02 बीघा, 15.00बीघा किता 4 कुल तादादी 72.00 बीघा रोही भोलूसर तहसील सरदारशहर में स्थित रही है। जिसके नये ख0 नं. 153, 168, 190, 80, 154, 81 तादादी क्रमशः 0.8200 हैक्टेयर, 8.8800 हैक्टेयर, 3.7900 हैक्टेयर, 4.3100 हैक्टेयर, 0.2000(गै.मु.सड़क), 0.2000(गै.मु. सड़क) किता 6 कुल तादादी 18.2000 है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज है जो अशुद्ध है। जबकि वादीगण के पिता का शुद्ध नाम मोहनराम है।

वादगत कृषि भूमि वादीगण की माता दाखां पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादीगण की माता के पति चन्द्राराम के लाऔलाद फौत होने पर चन्द्राराम के नाम की भूमि वादीगण की माता दाखां ने नाम दर्ज हुई। वादीगण की माता ने चन्द्राराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके छोटे भाई मोहनराम से विवाह कर लिया। दाखां एवं मोहनराम के वैवाहिक सम्बन्धों से वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 उत्पन्न हुए। वादीगण की माता दाखां का स्वर्गवास होने पर उसके नाम की खातेदारी कृषि भूमि जरिये इंतकाल सं0 396 विरास्तन वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम दर्ज हुई जिसमें वादीगण के पिता का नाम सहबन से रही लिपिकीय त्रुटिवश वादीगण की माता के पूर्व पति चन्द्राराम का नाम दर्ज कर हो गया। जबकि वादीगण के पिता का शुद्ध नाम मोहनराम है। वादगत कृषि भूमि में

वादीगण के पिता का नाम चन्द्राराम अशुद्ध दर्ज है। वादीगण विरास्तन खातेदारी की कृषि भूमि के काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता सूची, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मोहनराम नाम अंकित है। वादीगण के पिता का नाम चन्द्राराम हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने का वादीगण कानूनन अधिकारी है।

वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मोहनराम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम चन्द्राराम अंकित होने से वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीगण को करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम मोहनराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीगण केसीसी बनाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गये तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीगण को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई।

राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादीगण तहसीलदार सरदारशहर से मिले और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण के पिता नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष चाराजोही हेतु आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इनकार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

गौण प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी वादीगण के समान ही वादगत कृषि भूमि विरास्तन हक हिस्सा बनता है लेकिन वो साथ चलकर वाद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने से उन्हे बतौर गौण प्रतिवादी सं0 2 व 3 संयोजित किया गया है ताकि वोह भी अपना पक्ष रख सके और दावा में कोई कानूनी नुक्स ना रहे।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि अपनी कृषि भूमि ख0 नं0 55, 109, 115, 135 तादादी क्रमशः 17.17 बीघा, 04.01 बीघा, 35.02 बीघा, 15.00बीघा किता 4 कुल तादादी 72.00 बीघा नये ख0 नं. 153, 168, 190, 80, 154, 81 तादादी क्रमशः 0.8200 हैक्टेयर, 8.8800 हैक्टेयर, 3.7900 हैक्टेयर, 4.3100 हैक्टेयर, 0.2000 (गै.मु.सड़क), 0.2000 (गै. मु.सड़क) किता 6 कुल तादादी 18.2000 रोही भोलूसर तहसील सरदारशहर की भूमि विरास्तन कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम चन्द्राराम अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही मोहनराम दर्ज किया जावे।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार जमना पुत्री चन्द्राराम वादगत भूमि की सहखातेदार है जो वाद के लिये आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया हैं एवं वादी का कथन कि भूलवश पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज हो गया, गलत हैं क्योकि वादगत भूमि चन्द्राराम की खातेदारी भूमि थी लेकिन प्रकरण में राज्य हित निहित हैं के सम्बन्ध में राज पैरोकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

राज पैरोकार के जबाब अनुसार वकील वादी द्वारा जमना पुत्री दाखां को बतौर गौण प्रतिवादी संख्या 04 पक्षकार संयोजित करने हेतु दिनांक 13.11.2019 को प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार कर जमना को बतौर गौण प्रतिवादी संख्या 04 संयोजित किया गया।

गौण प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 की ओर से सांवरमल सारण, एडवोकेट उपस्थित आये एवं इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार यदि दावा हाजा डीक्री किया जाता हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। इकबाल जबाब दावा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं हुई व वादीगण द्वारा दिनांक 05.12.2019 को साक्ष्यवादी के अन्तर्गत शपथ पत्र कानाराम PW 1 व तेजाराम PW2 पेश किये गये एवं प्रदर्श अंकित किये गये।
वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये।

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की छायाप्रति। EX1
2. नामान्तरकरण संख्या 36 ग्राम भोलूसर की छायाप्रति। EX2
3. खाताधारक पासबुक की छायाप्रति। EX3
4. पेंशन पीपीओ की छायाप्रति। EX4
5. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति। EX5
6. श्रमिक कार्ड की छायाप्रति।श्रमिक कार्ड की छायाप्रति। EX6
7. जॉब कार्ड की छायाप्रति। EX7 A
8. राशन कार्ड की छायाप्रति। EX 8 A
9. भामाशाह की छायाप्रति। EX 8 B
10. बैंक पास बुक की छायाप्रति। EX 9 A
11. कुर्सीनामा दाखां देवी। EX 10
12. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (दाखां)। EX 11 A
13. पेंशन पीपीओ की छायाप्रति। EX 12 A
14. शादी का इकरार नामा दिनांक 23.12.56। EX 13 A
15. आधार कार्ड की छायाप्रति (कानाराम)। EX 14 A
16. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (तेजाराम पुत्र मोहनराम)। EX 15 A
17. आधार कार्ड की छायाप्रति (तेजाराम पुत्र मोहनराम)। EX 16 A
18. राशन कार्ड की छायाप्रति (तेजाराम पुत्र मोहनराम)। EX 17 A
19. जॉब कार्ड की छायाप्रति (तेजाराम पुत्र मोहनराम)।
20. बैंक पास बुक की छायाप्रति (तेजाराम पुत्र मोहनराम)। EX 18 A

प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये गये। वहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम चन्द्राराम अंकित है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत, उड़सर लोडेरा का प्रमाण पत्र जो सरपंच ग्राम पंचायत उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर द्वारा जारी किया गया है जिसमें दाखादेवी पत्नी मोहनराम का कुर्सीनामा अंकित किया गया है एवं प्रकरण में नाम परिवर्तन आदेश से राज्य हित भी प्रभावित नहीं होगा एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार 'हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकत अपनी सम्पत्ति होगी– (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न की परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जावेगी तथा धारा 15 (ख) के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति जो हिन्दु नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के अभाव मे उप धारा 1 में वर्णित प्रथमतः क्रम में न्यागत न होकर द्वितीयक क्रम से न्यागत होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी। वकील वादी के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अवलोकन उपरान्त मैं वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 55, 109, 115, 135 तादादी क्रमशः 17.17 बीघा, 04.01 बीघा, 35.02 बीघा, 15.00 बीघा किता 4 कुल तादादी 72.00 बीघा नये ख0 नं. 153, 168, 190, 80, 154, 81 तादादी क्रमशः 0.8200 हैक्टेयर, 8.8800 हैक्टेयर, 3.7900 हैक्टेयर, 4.3100 हैक्टेयर, 0.2000(गै.मु.सड़क), 0.2000(गै.मु.सड़क) किता 6 कुल तादादी 18.2000 रोही भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता नाम चन्द्राराम है जो वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की माता दाखां के पति थे। चन्द्राराम के लाऔलाद फौत हो जाने पर विवादित भूमि दाखां के नाम दर्ज हो गई एवं इसके पश्चात् दाखां का विवाह चन्द्राराम के छोटे भाई मोहनराम से हो गया। वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मोहनराम की संतान है एवं दाखां के पुत्र हैं। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार 'हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकत सम्पत्ति होती है जो उसकी मृत्यु पश्चात् पुत्रों व पुत्रियों के नाम विरासतन दर्ज हो गई। दाखां के पुत्र वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मोहनराम की संतान होने के कारण वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम चन्द्राराम के स्थान पर मोहनराम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम परिवर्तन से खातेदारों के खातेदारी में एवं रकबे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि	आदेश (प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	भोलूसर	खसरा नम्बर 55, 109, 115, 135 तादादी क्रमशः 17.17 बीघा, 04.01 बीघा, 35.02 बीघा, 15.00बीघा किता 4 कुल तादादी 72.00 बीघा नये ख0 नं. 153, 168, 190, 80, 154, 81 तादादी क्रमशः 0.8200 हैक्टेयर, 8.8800 हैक्टेयर, 3.7900 हैक्टेयर, 4.3100 हैक्टेयर, 0. 2000(गै.मु.सड़क), 0.2000(गै.मु. सड़क) किता 6 कुल तादादी 18. 2000	कानाराम, तेजाराम, लिछमा देवी, रूक्मणी व जमना पि0 चन्द्राराम,	कानाराम, तेजाराम, लिछमा देवी, रूक्मणी व जमना पि0 मोहनराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना आर. ए. एस.
मुकदमा नम्बर 80/2019
अनुवान कानाराम आदि बनाम राजस्थान राज्य व अन्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामनिवास सारण एडवोकेट एवं पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी 01 व श्री सांवरमल सारण, एडवोकेट वास्ते गौण प्रतिवादी 02 ता 04 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 55, 109, 115, 135 तादादी क्रमशः 17.17 बीघा, 04.01 बीघा, 35.02 बीघा, 15.00बीघा किता 4 कुल तादादी 72.00 बीघा नये ख0 नं. 153, 168, 190, 80, 154, 81 तादादी क्रमशः 0.8200 हैक्टेयर, 8.8800 हैक्टेयर, 3.7900 हैक्टेयर, 4.3100 हैक्टेयर, 0.2000(गै.मु.सड़क), 0.2000(गै.मु.सड़क) किता 6 कुल तादादी 18.2000 रोही भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता नाम चन्द्राराम के स्थान पर मोहनराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार शुद्ध अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

.....बीज.....
.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 4 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	08	00	मिजान	00	00